

# Order Sheet [Contd]

Case No 12 / 2016 बी.ए

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
19.12.2016	<p>आवेदक/आरोपी महेन्द्रसिंह की ओर से श्री प्रवीण गुप्ता अधिवक्ता। राज्य की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक। आपत्तिकर्ता/फरियादिया रामप्रकाश की ओर से श्री बी.एस. गुर्जर अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश।</p> <p>आरक्षी केन्द्र गोहद जिला भिण्ड की ओर से अप0क0 300/16 धारा 304बी भा.द.वि की केश डायरी मय कैफियत के पेश।</p> <p>आवेदक/आरोपी की ओर से अधि. श्री प्रवीण गुप्ता द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 जा0फौ0 का पेश कर निवेदन किया कि पुलिस थाना गोहद के द्वारा फरियादी से मिलकर आवेदक के विरुद्ध झूठा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जबकि आवेदक का उक्त अपराध से कोई संबंध सरोकार नहीं है वह निर्दोष है। प्रकरण में सहआरोपी आवेदक की पत्नी नारायणी बाई की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विविध आप. प्र.क्र. 12770/16 आदेश दिनांक 09.12.16 में स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक पर लगाया आक्षेप उक्त सहआरोपिया से भिन्न नहीं है। आवेदक स्थानीय निवासी है उसके भागने एवं साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना नहीं है। वह जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमानत मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।</p> <p>राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>आपत्तिकर्ता अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि आपत्तिकर्ता की पुत्री रीना की वर्तमान आवेदक जो कि मृतिका का ससुर है एवं पति व सास द्वारा हत्या कर फांसी पर लटका दिया गया। आवेदक/आरोपी के परिवार वाले राजीनामा की धमकी दे रहे हैं। अतः आपत्ति स्वीकार कर जमानत आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है।</p> <p>उपरोक्त संबंध में विचार किया गया है। दिनांक 05.09.16 को वर्तमान आवेदक महेन्द्रसिंह के द्वारा गोहद थाना में इस आशय की सूचना दी थी कि उसकी बहू रीना के द्वारा अपने पति सोनू के साथ</p>	

उदयपुर जहाँ कि सोनू काम करता है जाने की जिद कर रही थी और उसी जिद के कारण उसके द्वारा फॉसी लगा ली गई। उक्त सूचना के आधार पर मर्ग कायम किया गया और मर्ग की जाँच की गई। मर्ग की जाँच में यह पाया कि मृतिका को मोटरसाइकिल और पचास हजार रुपए की मांग को लेकर प्रताड़ित किया गया जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु सामान्य परिस्थितियों के अन्यथा कारित हुई है। जिस पर धारा 304बी, 34 भा0द0वि एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

आवेदक अधिवक्ता ने अपने तर्क में मुख्य रूप से यह व्यक्त किया है कि सहआरोपी जो कि मृतिका की सास है की अग्रिम जमानत माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के विविध आपराधिक प्र.क्र. 12770/16 आदेश दिनांक 09.12.16 में स्वीकार की जा चुकी है। वर्तमान आरोपी का कृत्य सहआरोपिया से भिन्न नहीं है। अतः समानता के आधार पर जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। वर्तमान आवेदक जो कि दिनांक 08.12.16 से अभिरक्षा में है। माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा सहआरोपिया नारायणीबाई की अग्रिम जमानत स्वीकार की जा चुकी है। वर्तमान आवेदक जो कि मृतिका का ससुर होना बताया गया है उस पर भी इसी प्रकार का आक्षेप है जिस प्रकार का आक्षेप नारायणी बाई पर है। वर्तमान आवेदक का प्रकरण उक्त आवेदिका से भिन्न होना नहीं कहा जा सकता है। इस परिप्रेक्ष्य में **मनोहर वि० स्टेट ऑफ़ एम.पी. 2007(3) एम.पी.एस.टी. 349** को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक समानता के आधार पर जमानत की पात्रता रखता है। इस परिप्रेक्ष्य में आवेदक की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र स्वीकार करते हुए आदेश किया जाता है कि आवेदक के द्वारा संबंधित कमिटल मजिस्ट्रेट की संतुष्टि योग्य 50000/- रुपए की समक्ष जमानत एवं इसी राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र इस शर्त के साथ पेश हो कि आवेदक विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा। धारा 437(2) जा.फौ. की शर्तों का पालन करेगा। तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है।

आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस किया जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(डी०सी०थपलियाल)

ए.एस.जे. गोहद